[TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA]

F. No. 4/5/2010-BO-I Government of India Ministry of Finance Department of Financial Services

New Delhi, dated the 27 December, 2011
Pausha 66, 1933 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3 and sub-clause (1) of clause 8 of The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri M.S. Raghavan (DoB: 08.06.1955), General Manager, Indian Overseas Bank as Executive Director, Bank of India, with effect from the date of his taking over charge of the post on or after 01.01.2012 till 30.06..2015, i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

(Sreya Guha)

To

The Manager, Government of India Press, Mayapuri Industrial Area, Ring Road, New Delhi.

(भारत के राजपत्र के भाग-II खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ) फा.सं. 4/5/2010-बीओ-I

भारत सरकार वित्त मंत्रालय वितीय सेवाएं विभाग

दिसम्बर, 2011 नई दिल्ली, दिनांक-----पौष, 1933 (शक)

अधिसूचना

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1) और खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पिठत, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात, एतद्द्वारा, इण्डियन ओवरसीज बैंक के महाप्रबंधक, श्री एम. एस. राघवन (जन्म तिथि 08.06.1955) को 01.01.2012 को अथवा उसके बाद उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 30.06.2015 तक अर्थात उनके अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

(श्रेया गुहा) निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड, नई दिल्ली।